

**बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग**

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या-6/वि0पत्रा0-24-74/2025

पटना, दिनांक:-

श्री भवेन्द्र कुमार तिवारी, अवर सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8043/वि0 दिनांक 11.10.2017 की कंडिका-3(G)(i) एवं लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 के परिशिष्ट के कंडिका-7(1) के आलोक में ब्लॉक वर्ष 2022-25 में अनुमान्य छुट्टी यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) को अग्रणित करते हुए अगले ब्लॉक वर्ष 2026-29 के प्रथम वर्ष में दिनांक 20.06.2026 से 29.06.2026 तक की अवधि में सपरिवार नासिक का भ्रमण करने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) का उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-74/2025 1630

पटना, दिनांक:- 11/05/

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं श्री भवेन्द्र कुमार तिवारी, अवर सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित कि याचित अवकाश की स्वीकृति एच0आर0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।